जनपद-संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनांक 12-08-2019**

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनॉक 12.08.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियो पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी।

थाना घनघटा पुलिस द्वारा अपनी पत्नी को जलाकर मारने की कोशिश करने का अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 336/19 धारा 352 / 307 भा0द0वि0 के वाँछित अभियुक्त रामप्रवेश पुत्र रामआश्रय निवासी जिगीना टोला शीतल पुरवा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनाँक 02.08.2019 को वादी की पुत्री (अभियुक्त की पत्नी) के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़कर जला देने की कोशिश की गयी जिससे वादी की पुत्री गम्भीररुप से घायल हो गयी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा दिनाँक 03.08.2019 को थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें आज दिनाँक 12.08.2019 को थाना धनघटा पुलिस द्वारा अभियुक्त रामप्रवेश को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 2545 द्वारा करंट लगने से झुलसे हुए व्यक्ति को पहुँचाया अस्पताल – पीआरवी 2545 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 1706 से कालर ने पोल पर चढे हुए व्यक्ति को करंट लगने के सम्बन्ध मे सूचना दी। इस सूचना पर पीआरवी कर्मियो द्वारा तत्काल 11 मिनट में मौके पर पहुचकर प्राइवेट लाइनमैन रामकैलाश पुत्र रामनरेश निवासी भदाह को पीआरवी वाहन से अस्पताल पहुँचाया गया तथा इस सम्बन्ध मे कोतवाली खलीलाबाद को सूचित किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुचकर बिजली से घायल हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- मु0आरक्षी आनन्द प्रकाश दीक्षित,आरक्षी रविन्द्र निषाद, हो0चा0 प्रमोद पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 19 वाहनो से 12200 रु0 सम्मन शुल्क वसूल

आज दिनांक 12-08-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 19 वाहनो से 12200 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार –

- **मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 12-08-2019 को जनपदीय पुलिस व एण्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 07 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 25 व्यक्तियों को चेक किया गया जिसमे से मनचले व शोहदे किस्म के 01 लड़को से पूछताछ करने के पश्चात उनके परिजनों के संज्ञान मे लाते हुए माफीनामा प्रस्तुत करने के उपरान्त कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।